न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 565 / 2026
त्रिवेणीगंज थाना कांड सं0– 353 / 2025

12/05/26	**1. जयकृष्ण यादव पे0 चन्देश्वरी यादव** **2. युगल किशोर यादव पे0 चन्देश्वरी यादव** **3. कुन्दन कुमार** **सभी सा0–लतौना दक्षिण, वार्ड नं0 08, थाना– त्रिवेणीगंज, जिला– सुपौल.....आवेदक** **बनाम्** **बिहार सरकार.....विपक्षी** --- प्रार्थी अभियुक्तगण 1. जयकृष्ण यादव 2. युगल किशोर यादव एवं कुन्दन कुमार की ओर से त्रिवेणीगंज थाना कांड सं0–353 / 2025 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद मंडल ने निवेदन किया है कि प्रार्थी अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कहना है कि जमीन संबंधी विवाद के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है तथा उनपर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है बल्कि सामान्य आरोप है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 324(5), 326(f),326(g) के तहत् लगाया गया आरोप नहीं बनता है। उक्त आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कहना है कि जमीन संबंधी विवाद अंचलाधिकारी के न्यायालय में लंबित है जिसके वजह से सूचक द्वारा आवेदकगण को दबाव बनाने के लिए प्रस्तुत कांड दर्ज कराया गया है तथा जिस घटना की जलने की बात बतायी गयी है वह Dwelling House की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थी अभियुक्तगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों को मानने को तैयार हैं। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक श्री अबू जफर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है तथा अभिलेख एवं कांड दैनिकी में सूचक के घर में आग लगाकर उनके घर का सारा सामान को राख करने का गंभीर आरोप है एवं अनुसंधान के क्रम में भी प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध मामला को सत्य पाया गया है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत वाद, सूचक बिरेन्द्र यादव के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्तों सहित कुल 10 अभियुक्तण के विरुद्ध धारा 324(5),326(f), 326(g), 3(5) BNS में दर्ज किया गया है। संक्षेप में सूचक का कथन है कि दिनांक 05 / 07 / 2025 के दिन के करीब 4 बजे प्रार्थी अभियुक्तों सहित कुल 10 अभियुक्तगण उनके आवासीय घर में पेट्रोल छिड़ककर माचिस से आग लगा दिया। जिसमें उनके घर में रखा चावल गेहूँ लगभग 10 क्विंटल, PM आवास योजना वाला 40000 / – रूपया, 10000 / – रूपया नगद जो की बक्सा में रखा हुआ था। जिसमें कपड़ा और बाली लगभग आठ आना, चांदी का पायल दस भरी, पलंग 1 पीस, चौकी 1 पीस, मोबाईल 2 पीस रेडमी कंपनी का घर में रखा सारा बर्तन, गोदरेज 1 पीस ट्रंक	**लगातार**

न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 565 / 2026
त्रिवेणीगंज थाना कांड सं0– 353 / 2025

12/05/26 **लगातार**	2 पीस, साईकिल 2 पीस, पानी वाला मोटर 1 पीस जलकर राख हो गया। सूचक का कहना है कि जमीन विषयक बातों को लेकर उपर्युक्त नामित व्यक्तियों से कई सालों से झगड़ा चल रहा है एवं अंचलाधिकारी भी इस बात को जानते है तथा आज तक अंचलाधिकारी के न्यायालय में यह मामला लंबित है। सूचक का कथन है कि जमीन विवाद को लेकर युगल यादव से आग लगाने की कई बार धमकी भी मिली थी। सुना व अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्राथमिकी में प्रार्थी अभियुक्तों पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के घर में आग लगा देने के कारण उनके घर का सारा सामान जल जाने के आरोप में दर्ज कराया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। कांड दैनिकी की कंडिका 2 में वादी बिरेन्द्र यादव का पुनः बयान है तथा कंडिका 3, 7 एवं 8 में साक्षियों क्रमशः ब्रहमदेव यादव, सुरेश यादव एवं कारी यादव का बयान है जिन्होंने अपने–अपने बयानों प्राथमिकी व घटना का पूर्ण समर्थन किया है तथा साक्षियों ने यह भी बताया है कि जमीन संबंधी विवाद होने के कारण प्रार्थी अभियुक्तों द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के चाचा के आवासीय घर में पेट्रोल छिड़ककर माचिस लगाकर आग लगा दिया जिससे इनके घर में रखा सारा सामान, मोबाईल, रूपया, जेवर वगैरह जलकर राख हो गया। कांड दैनिकी के कंडिका 2 में घ ाटनास्थल वाली स्थान पर जले हुए विभिन्न सामानों का फोटोग्राफ है जिससे सूचक के घर का सारा सामान जल कर राख होने की पुष्टि होती है। कांड दैनिकी के कंडिका 51 एवं 52 में स्वतंत्र साक्षीगण क्रमशः सिकेन्द्र यादव एवं अर्जुन यादव का बयान दर्ज है जिन्होंने अपने–अपने बयान में दोनों पक्षों के बीच में बासडीह की जमीन के सीमांकन को लेकर विवाद होना बताया है और यह भी बताया है कि प्रार्थी अभियुक्तों द्वारा बार–बार सूचक के घर को आग लगा देने की धमकी दी जाती थी। कांड दैनिकी के कंडिका 59 में प्रार्थी अभियुक्तों के विरूद्ध त्रिवेणीगंज थाना में पूर्व से कोई कांड दर्ज नहीं बताया गया है। अभिलेख एवं कांड दैनिकी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अभियुक्तगण पर सूचक के घर में आग लगाकर उनके घर का सारा सामान को नष्ट कर देने का स्पष्ट आरोप है तथा साक्षियों ने भी इसका समर्थन किया है। अभिलेख एवं कांड दैनिकी में प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है एवं प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाया गया आरोप जघन्य प्रकृति का है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में तथा प्रार्थी अभियुक्तगण पर सूचक के घर में आग लगाकर उनके घर का सारा समान को जलाकर राख करने के प्रत्यक्ष आरोप को देखते हुए, उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी अभियुक्तगण **1. जयकृष्ण यादव, 2. युगल किशोर यादव एवं 3. कुन्दन कुमार** की ओर से दाखिल **अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत** किया जाता है। (राकेश कुमार–तृतीय) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	